25.6.18 पंचायती कोर्ट में पेश हुई। पंचायती आदेश का
उप० पुलिस अधीक्षक को पत्र: फैसला वाद स्थगित
निषेधाज्ञा से पालन किया गया है लेकिन को सेवा है
आरोपी की मौजूदा व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति
बनाये रखे। पंचायती फैसला अनुसार होकर
गलत से बना है तथा वाद तकमील हेतु लगा वाद
है। Pup

Scanned by CamScanner